

नई विशेषताएँ ई-नाम के बारे में



मोबाइल ऐप्लिकेशन

- छः भाषाओं में उपलब्ध है
- लॉट प्रगति की ट्रैकिंग
- रियल टाईम बोली और गुणवत्ता परीक्षण का प्रमाणपत्र
- खरीदार के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा और किसान को एसएमएस के द्वारा सूचना



भुगतान सुविधा



ई-लर्निंग

- व्यापारिक सूचना प्रबंधन प्रणाली पर आधारित डैशबोर्ड
- विश्लेषण से योजना के संचालन में मदद



एमआईएस डैशबोर्ड

- तकनीकी शिकायतों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण एवं उस पर ऑनलाइन नज़र



शिकायत निवारण



उत्तम फसल उत्तम इनाम

अधिक विकल्प

अधिक मूल्य

अधिक लाभ

राष्ट्रीय कृषि बाजार

ई ट्रेडिंग के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल



www.enam.gov.in



कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
भारत सरकार



लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
(क्रियान्वयन)



नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड
(रणनीतिक साझेदार)

ई-नाम प्रक्रिया प्रवाह



क्यूँ ई-नाम?

ई-नाम और मौजूदा मंडी प्रणाली के बीच क्या अंतर है?

ई-नाम भौतिक मंडियों को एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के लिए एक प्लेटफार्म है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। यह ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल व्यापारियों को मंडियों में स्थायी स्तर व्यापार में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है।

ई-नाम के लाभ?

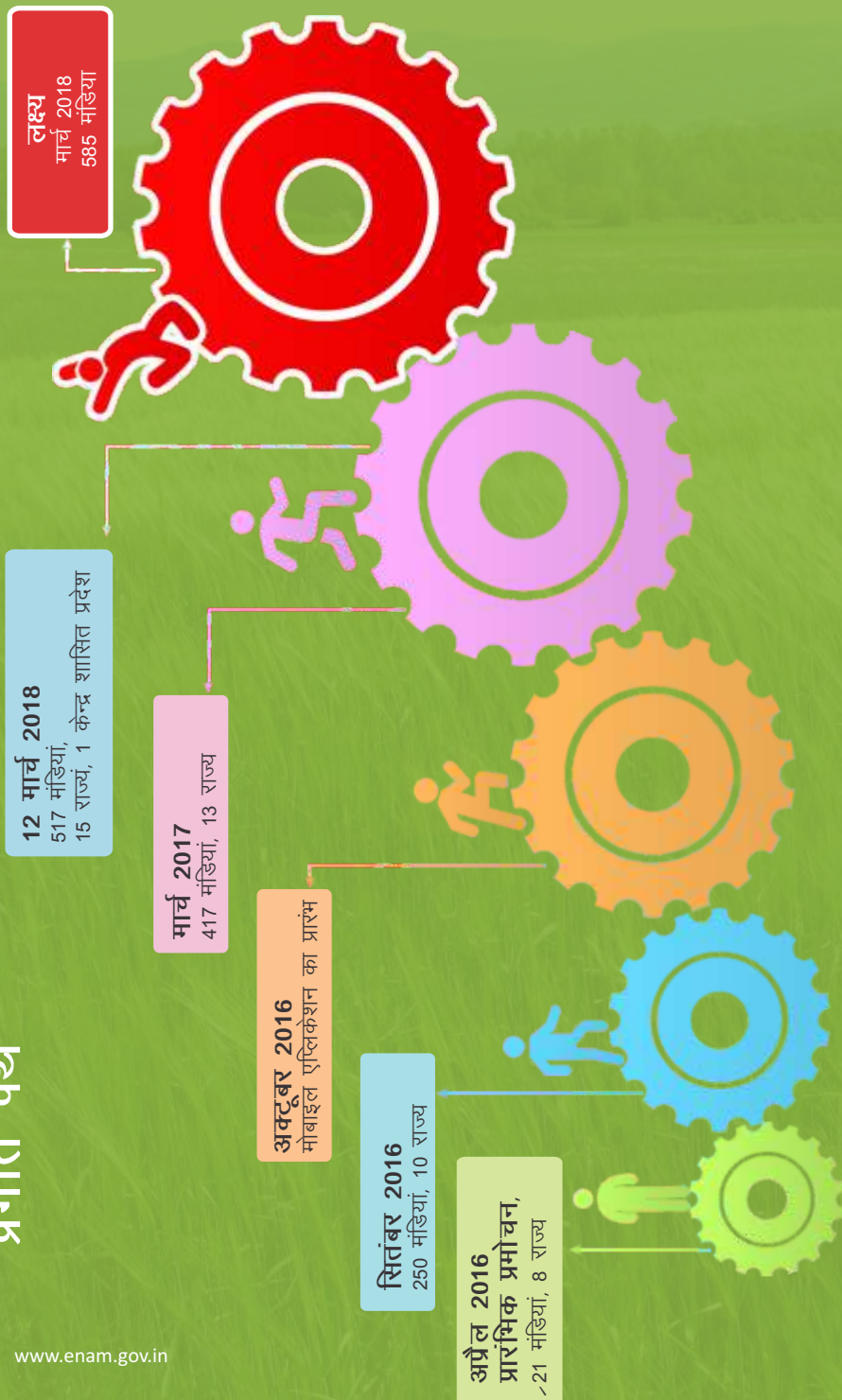
ई-नाम सभी हितधारकों के लिए एक बहु-उपयोगी योजना है। किसानों के लिए, ई-नाम निकटतम मंडी में अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अधिक विकल्प आश्वासित करता है। व्यापारियों के लिए, ई-नाम एक बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। थोक खरीदार, प्रोसेसर, निर्यातकों आदि ई-नाम मंच के माध्यम से स्थानीय मंडी स्तर पर व्यापार में सीधे भाग लेने में सक्षम होने से लाभान्वित होते हैं, जिससे उनकी मध्यस्थता लागत कम हो जाती है। ई-नाम राज्यों की मंडियों में एकीकृत लाइसेंस जारी करने, शुल्क की लेवी और कार्य प्रणाली में सामान्य प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। यह प्लेटफार्म किसानों के लिए अधिक खरीदार, लेन-देन लागत में कमी, मूल्यों में प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोगी साबित होगा।

ई-नाम क्यों आवश्यक है?

वर्तमान स्थिति में किसानों की फसल की बिक्री स्थानीय मंडी के व्यापारियों तक ही सीमित रहती है। इसलिए कृषि उपज के राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन बाजार के निर्माण हेतु ई-नाम महत्वपूर्ण कदम है। जिससे किसानों को ज्यादा खरीदार एवम् व्यापार में पारदर्शिता प्राप्त होगी।

ई-नाम योजना को कृषि विपणन सुधारों से जोड़ा जा रहा है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके तहत सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तीन क्षेत्रों के संबंध में अपने कृषि उत्पाद बाजार समिति (ए.पी.एम.सी.) अधिनियम में अनिवार्य संशोधन किए जाने की आवश्यकता है:-

- राज्यों में मान्य एकल विपणन लाइसेंस;
- राज्य में केवल एक स्थान पर बाजार शुल्क;
- राज्य कृषि विपणन विभाग/बोर्ड/ए.पी.एम.सी./नियमित विपणन समिति, जैसा भी हो, द्वारा मूल्य प्राप्ति के प्रकार के रूप में ई-नीलामी/ई ट्रेडिंग हेतु प्रावधान।
- सभी प्रांतों एवं केन्द्र शासित राज्यों जहां ए.पी.एम.सी. कानून का प्रावधान नहीं है, वहां एक नियामक संस्था का गठन कर ई-नाम के साथ एकीकृत भी किया जा सकता है। (इस संदर्भ में परिचालन दिशा निर्देशों 4.4, in www.enam.gov.in)



किसान हेतु लाभ



- व्यापार में पारदर्शिता
- बेहतर मूल्य
- अधिक बाजार तक पहुंच
- बेहतर मूल्य और अधिक मंडियों के उपयोग के बारे में जानकारी
- त्वरित भुगतान
- एक स्वस्थ वित्तीय परिलेख का निर्माण

व्यापारी हेतु लाभ



- अन्य मंडियों तक विस्तृत पहुंच
- मंडियों का एकीकरण
- बाजार में आगमन और व्यापार से संबंधित वास्तविक जानकारी
- उपज की गुणवत्ता की जानकारी
- मोबाइल ऐप के माध्यम से व्यवसाय करने में आसानी
- ऑनलाइन बैंकिंग एवं भुगतान की सुविधा

रिफॉर्म

- मंडी शुल्क के एकल बिंदु लेवी।
- एकल व्यापार लाइसेंस सभी बाजारों में मान्य
- ई-ट्रेड के लिए प्रावधान

मंडी हेतु लाभ



- सिस्टम एकीकरण / रिकॉर्डिंग लेनदेन का स्वचालन
- व्यापार के बारे में पूरी जानकारी
- रियल टाईम आगमन रिकॉर्डिंग
- कीमतों के रुझान, आगमन और व्यापारिक गतिविधियों का विश्लेषण
- वित्तीय जानकारी का स्वचालित रिकॉर्ड

ई-नाम के बारे में

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कि कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण हेतु मौजूदा ए.पी.एम.सी./मंडियों का एक प्रसार है।

महत्वपूर्ण भागीदार

किसान, व्यापारी, कमीशन एजेंट, ए.पी.एम.सी, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर, बैंक, गोदामों आदि।

उद्देश्य

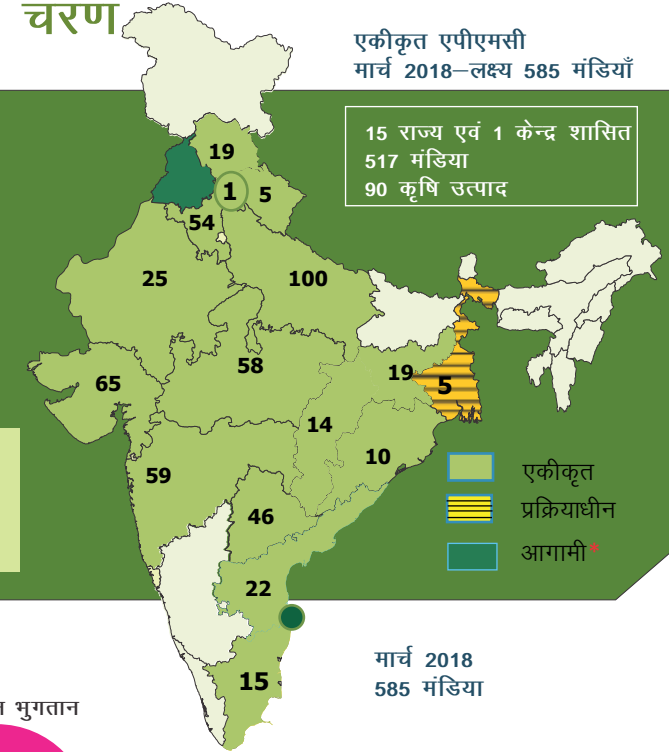
- भारत में कृषि उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन बाजार के माध्यम से देश की सभी ए.पी.एम.सी./मंडियों को एकीकृत करना।
- अधिक बाजारों तक किसानों की पहुंच प्रदान करवाना।
- कृषि व्यापार में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को बढ़ाना।
- डिजिटल प्रचालन प्रक्रिया: गेट एंट्री व बिक्री समझौतों से शुरू होते हुए किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान तक
- रियल टाईम डेटा रिपोर्टिंग से उपज मूल्य, वस्तु की गुणवत्ता, मानकों के सुधार एवं सूचना विषमता को हल करना।

कार्यान्वयन चरण

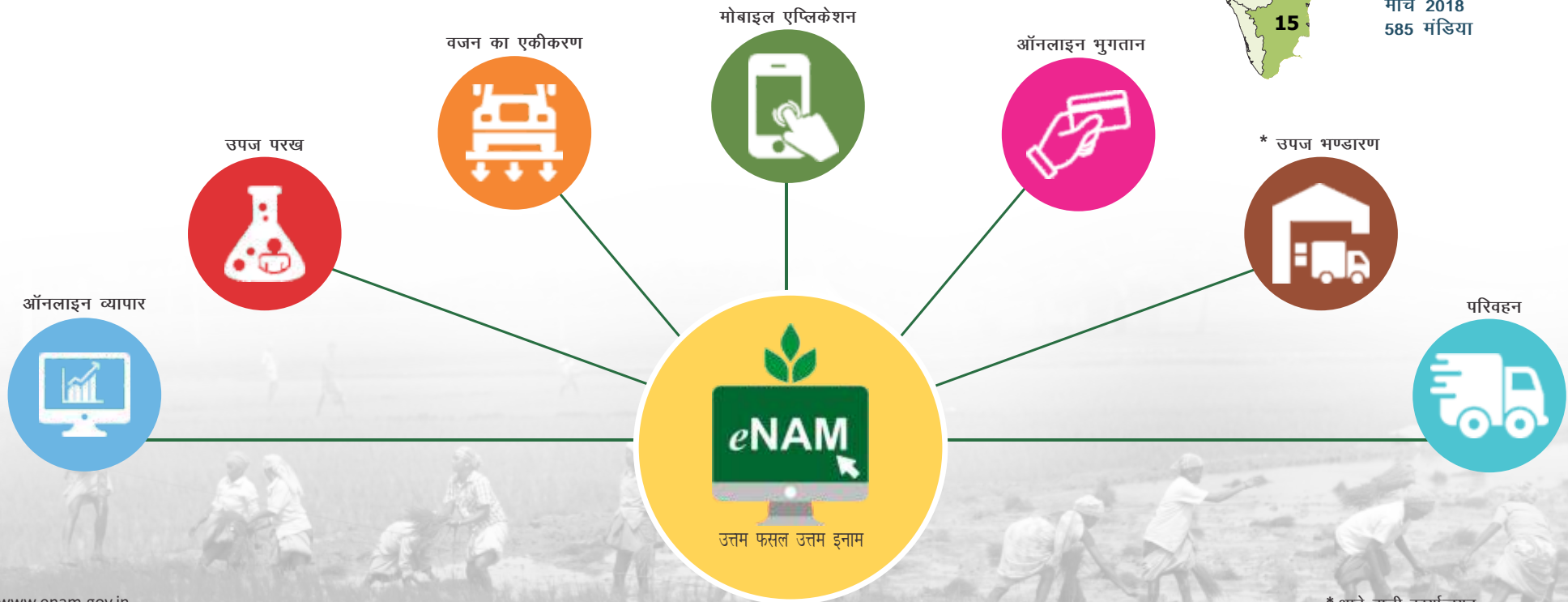
एकीकृत एपीएमसी
मार्च 2018-लक्ष्य 585 मंडियाँ

15 राज्य एवं 1 केन्द्र शासित
517 मंडिया
90 कृषि उत्पाद

मार्च 2017	417
12 मार्च 2018 तक	517
मार्च 2018	585



मार्च 2018
585 मंडिया



* आने वाली कार्यान्वयन